

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल आर0ए0एस0

प्रार्थना-पत्र सं0 : 15 सन 2024

अनवान :-

1. आईदान पुत्र सवाईदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. महेश पुत्र सवाईदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. विक्रम पुत्र सवाईदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
4. सवाईदान पुत्र सुखराम जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

-प्रार्थीगण

2. दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद जाति बंसल निवसी नोहर।

3. रोशनी देवी पत्नी किशोर कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील तारानगर।

-तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व
अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/6/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि का प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा दिनांक 04.06.2024 को पटवारी हल्का ढाणी चारणान को पैमाईश हेतु आदेशित किया गया एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.06.2024 को आदेश क्रमांक भू0अ0/3834 दिनांक 14.06.2024 की पालना में मौके पर पहुंच कर उपस्थित काश्तकारों के समक्ष भूमि की पैमाईश की गई तथा मौके पर उपस्थित काश्तकारों के समक्ष फर्दे मौके तैयार की गई है। पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के पश्चात निशान्त दिये गये एवं एवं प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तरतीबी अप्रार्थीगण का अनुतोष प्रार्थी में निहित होने के कारण तलबी की आवश्यकता नही अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने उपस्थित आकर निवेदन किया की प्रार्थी के साक्ष्य सबूतों के आधार राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि जो की संयुक्त खाता में दर्ज है की पैमाईश करवाई जाकर निशानदेही करवाई गई थी के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल/प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपनी मुश्तरका खाता की भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायला उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायला का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीया ने प्रार्थी में की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायला के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायल का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि सायल व तरतीबी गैरसायल स0 2 ता 4 की भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/1/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

५
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ़)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांक: सीडर/2025/757

दिनांक:-18/06/25

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :- प्रार्थना पत्र संख्या 15/2025 अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 111 व 128 बाबत पैमाईश व पत्थरगढ़ी करने बाबत।

प्रार्थना-पत्र सं0 : 15 सन 2024

अनवान :-

1. आईदान पुत्र सवाईदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
2. महेश पुत्र सवाईदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
3. विक्रम पुत्र सवाईदान जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।
4. सवाईदान पुत्र सुखराम जाति चारन निवासी ढाणी चारणान तहसील नोहर।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

-प्रार्थीगण

2. दिनेश कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद जाति बंसल निवसी नोहर।
3. रोशनी देवी पत्नी किशोर कुमार जाति जाट निवासी हरिपुरा तहसील तारानगर।

-तरतीबी अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या /2025 अनवान आईदान बनाम सरकार में निर्णय दिनांक 17/6/25 में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि सायल व तरतीबी गैरसायल स0 2 ता 4 की भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे। तदानुसार कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर